

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

संख्या:-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013..... /परि0, पटना दिनांक....

जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक--950 दिनांक--08.12.2016 द्वारा श्री चितरंजन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर के चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, बिहार, पटना द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के कारण उनकी प्रशिक्षण अवधि तक श्री अनिल कुमार दास, वरीय उप समाहर्ता, शिवहर को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

2. जिला पदाधिकारी, शिवहर द्वारा की गई उपरोक्त अंतरिम व्यवस्था के आलोक में श्री अनिल कुमार दास, वरीय उप समाहर्ता, शिवहर को अपने कार्यों के अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर के कार्यों के सम्पादन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।


ह0/-

उप सचिव

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ईमेल ज्ञापांक-05/स्था0(डी0टी0ओ0)-30/2013... 137 /परि0, पटना दिनांक... 13/11/17

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी, / संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / श्री चितरंजन प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, शिवहर (सम्प्रति प्रशिक्षण में) / श्री अनिल कुमार दास, वरीय उप समाहर्ता, शिवहर / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / संबंधित मोटरयान निरीक्षक / संबंधित प्रवर्तन अवर निरीक्षक / आई0टी0मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग / परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव 13/11/17

परिवहन विभाग, बिहार, पटना